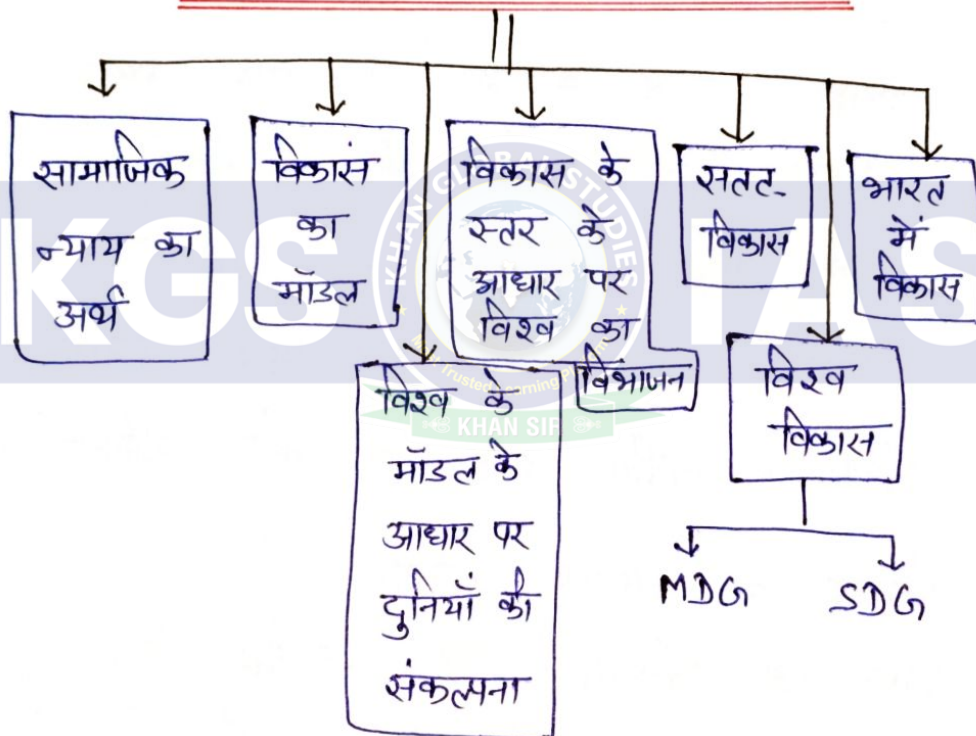


सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए दृष्टिकोण और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय:-

सामाजिक न्याय एवं विकास



सामाजिक न्याय का अर्थ →

सामाजिक न्याय, एक मानवतावादी विचार-धारा है, जो सभी मनुष्यों को, समान मानने का आग्रह करती है।

इसके अनुसार, किसी भी व्यक्ति के समस्त सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और प्रत्येक के पास अपने-अपने न्यूनतम संसाधन होने चाहिए कि वे उत्तम जीवन जी सकें।

अर्थात् समाज के अंतर्गत, धन, अधिकार एवं अवसरों का न्याय-पूर्ण वितरण को सामाजिक न्याय की संज्ञा दी जाती है।

विकास का अर्थ →

विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई देश उच्च भौतिक रहन-सहन का स्तर, उच्च स्वास्थ्य का स्तर, उच्च आयु प्रत्याशा, उच्च शिक्षा का स्तर, शक्ति का विकेंद्रीकरण आदि को प्रकृति एवं विश्व समुदाय के साथ सामंजस्य बनाते हुए प्राप्त करने का प्रयास करता है।

इस तरह विकास की अवधारणा के अंतर्गत निम्न तत्व को शामिल किया जा सकता है-

- i) विकास - आर्थिक वृद्धि के रूप में
- ii) विकास - जीवन की गुणवत्ता में सुधार के रूप में

- iii) विकास - सामाजिक न्याय के रूप में
- iv) विकास - सतत विकास के रूप में
- v) विकास - अंतर्राष्ट्रीय मामलों को ध्यान में रखते हुए,

अर्थात् विश्व विकास

विकास का मॉडल →

विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 3 तरह की विचारधारा अथवा तरीके या मॉडल प्रचलित हैं -

- ① पूँजीवादी
- ② सम्राजवादी
- ③ मिश्रित

वर्तमान समय में, उदारवादी पूँजीवादी मॉडल विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित एवं सफल मॉडल है। रूस व

चीन जैसे देशों ने भी अपनी अर्थ-
व्यवस्था को पूँजीवादी मॉडल की ओर
उन्मुख किया है। फलतः, दुनिया के
लगभग सभी देशों में, लोक कल्याण-
कारी राज्य कमजोर हुआ है और
विकास की प्रक्रिया में सामाजिक
न्याय उपेक्षित हुआ है।

विकास के मॉडल के आधार पर
तीन दुनियाँ की संकल्पना →

- ① पहली दुनियाँ के देश
- ② दूसरी दुनियाँ के देश
- ③ तीसरी दुनियाँ के देश

विकास के स्तर के आधार पर
विश्व का 3 वर्गों में विभाजन →

- ① विकसित देश

② विकासशील देश

③ अल्पविकसित देश

विश्व के देशों द्वारा विकास के लक्ष्यों का संयुक्त रूप से निर्धारण →

विकास में सामाजिक न्याय की संकल्पना पर अलग - अलग देशों ने अपनी - अपनी तरह से बल, मानवतावाद के उदय के साथ देना शुरू किया।

आधुनिक संदर्भ में सामाजिक न्याय पर बल, यूरोप में समाजवादी आंदोलन के बाद शुरू हुआ।

औपचारिक रूप से, विकास में सामाजिक न्याय को 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार की सार्वजनिक घोषणा के रूप में

अपनाया गया, जो दुनिया के अनेक देशों के लिए प्रेरक व मार्गदर्शक रहा तथा इन देशों ने इसको, अपने संविधान एवं विकास नीतियों में स्थान दिया।

1972 में स्टॉकहोम में, United Nations Conference on the Human Environment में विश्व के अनेक देशों ने विकास की प्रक्रिया में पर्यावरण संरक्षण पर बल दिया तथा औपचारिक रूप से सतत विकास के लक्ष्य को अपनाया।

सतत विकास की संकल्पना का, पहली बार औपचारिक रूप से प्रयोग, 1992 में रियो - डी - जेनेरियो (ब्राजील) में United Nations Conference

On Environment & Development (UNCED)
के द्वारा, प्रथम शिखर सम्मेलन, जिसे
AGENDA-21 भी कहते हैं आयोजित
किया गया और अपनाया गया।

फलतः, दुनिया के देशों द्वारा अपनी
विकास नीतियों में सतत विकास की
संकल्पना को औपचारिक रूप से
लागू किया गया और विकास की
प्रक्रिया में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत,
जलवांश (जैविक) कृषि, जल संरक्षण,
वन संरक्षण और रोपण, वन्य जीव
संरक्षण, मृदा संरक्षण आदि पर बल
दिया गया।

विश्व विकास और मिलानियम डेवल-
पमेंट गोल → विश्व विकास की

संकल्पना का व्यवस्थित प्रयोग संयुक्त राष्ट्र के वर्ष २००० के मिलेनियम शिखर सम्मेलन में हुआ, जिसमें २०१५ तक के लिए ८ वैश्विक लक्ष्य चुने गए, जिन्हें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल (MDGs) कहा जाता है।

इसमें २०१५ तक १८९ देशों और २२ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा ८ लक्ष्यों की प्राप्ति का संकल्प लिया गया, जो निम्नलिखित हैं-

१. भ्रूखमरी तथा गरीबी समापन
२. सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा
३. लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण
४. शिशु मृत्यु दर कम करना
५. मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना

6. HIV, મલેરિયા તથા અન્ય બીમારો
સે દુટકારા
7. પર્યાવરણ સતતતા
8. વૈશ્વિક વિકાસ દેતુ સંબંધ સ્થાપિત
કરના।

KGS IAS

